फॉर्म 'बी'

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ पूर्णकालिक निदेशक/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

बैंकिंग कंपनी का नाम: ____

पता: ____

____

दिनांक: ____________

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई- 400001

महोदया/ महोदय,

<u>बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख/ 10ख(1क)(i)</u>

हम एतद्द्वारा निम्नलिखित नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति* के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख/ 10ख(1क)(i) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और इससे संबंधित ब्योरे नीचे प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में आप यदि अन्य कोई सूचना आवश्यक समझेंगे तो उसे हम प्रस्तुत करेंगे

भवदीय,

____
(हस्ताक्षर)

____
(पदनाम)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.

विवरण

क्र.	विवरण	प्रकट की गई जानकारी
(1)	कृपया बताएं कि नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति करने के लिए तथा उसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है। यदि निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी है तो संबंधित अनुच्छेद संख्या बताएं। [इस आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी, आम सभा या निदेशक मंडल, जैसी भी स्थिति हो, के उस संकल्प (उसकी तारीख के साथ) की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जानी चाहिए, जिसमें नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति को प्राधिकृत किया गया हो। यदि संकल्प क्षेत्रीय भाषा में हो तो उसके अंग्रेज़ी अनुवाद की प्रमाणित प्रति भेजी जाए]	
(2)	नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम	
(3)	उनका वर्तमान पदनाम	
(4)	उनकी -	
	(ए) उम्र	
	(बी) शैक्षणिक योग्यता	
	(सी) बैंकिंग या अन्य पेशेवर अनुभव, जिसमें संस्था/ संस्थाओं का नाम, किस पद पर थे तथा ऐसे अनुभव की अवधि दी जाए।	
(5)	नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की शर्तें	
	(ए) क्या नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति एक संविदा या करार के अंतर्गत होगी (यदि ऐसा है तो ड्राफ्ट संविदा या करार की एक प्रति, विद्यमान संविदा या करार, यदि कोई हो, की प्रति के साथ दी जानी चाहिए)	
	(बी) नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की निर्धारित अवधि	
	(सी) पारिश्रमिक के ब्योरे	04 नवंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा 'पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक' के संबंध में जारी दिशानिर्देश के अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।
(6)	(ए) कृपया बताएं कि नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में बैंकिंग कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1)(ख)(i) और (ii) तथा धारा 10(1)(ग) के प्रावधानों का अनुपालन करती है।	
	(बी) कृपया बताएं कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा	

	5(ne) के साथ पठित 10 ख(4) में उल्लिखित कोई अयोग्यता है।	
(7)	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, उदाहरण के लिए धारा 188, 190, 196, 197 के अनुपालन की स्थिति। कृपया प्रत्येक धारा के लिए स्थिति बताएं।	
(8)	कोई अन्य तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी आवेदन के समर्थन में अथवा अन्य किसी कारण से सूचित करना चाहती हो।	

कृते ___________________________
(बैंकिंग कंपनी का नाम)

____
(हस्ताक्षर)

____
(पदनाम)

टिप्पणी: यदि आवेदन पत्र एमडी एवं सीईओ की पुनर्नियुक्ति से संबंधित हो तथा उसकी वर्तमान नियुक्ति या पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधानों में संशोधन होता हो तो फॉर्म 'बी' में केवल एक आवेदन पत्र देने की आवश्यकता है तथा वर्तमान प्रावधानों और प्रस्तावित संशोधनों के ब्योरे मद 5 में दिए जाने चाहिए।